

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

स्पीड पोस्ट
ईमेल

प्रेषक,

मनीष आनंद,
अवर सचिव (प्रबंधन)।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, भागलपुर।

पटना, दिनांक-

विषय:-श्री आनंद एवं श्री नेहरू लाल अमर, तत्कालीन कनीय अभियंता (संविदा), सिंचाई प्रमंडल, बिजीखोरवा के विरुद्ध गठित आरोप पत्र के संबंध में।

प्रसंग- विभागीय पत्रांक-2976 दिनांक 01.06.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में कहना है कि बटुआ जलाशय एवं इससे निःसृत नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापन कार्य योजना के अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों की जाँच उड़नदस्ता अंचल-2, जल संसाधन विभाग, पटना से करायी गयी। जाँचोपरान्त उड़नदस्ता अंचल-2 द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन (पत्रांक-02, दिनांक 03.02.2020) के आधार पर पायी गयी कतिपय अनियमितता के लिए श्री आनंद एवं श्री नेहरू लाल अमर, तत्कालीन कनीय अभियंता (संविदा), सिंचाई प्रमंडल, बिजीखोरवा के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप उनके संविदा/अनुबंध को समाप्त किये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकार (अभियंता प्रमुख, मुख्यालय) द्वारा विभागीय निगरानी प्रशाखा-24 के स्तर से ली गयी थी। उक्त निर्णय के आलोक में उक्त दोनों अभियंताओं के उनके संविदा/अनुबंध को समाप्त करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करते हुये कृत कार्रवाई से 03 दिनों के अंदर विभागीय निगरानी प्रशाखा (प्रशाखा-24) को अवगत कराते हुए उसकी प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था, जो अब तक अप्राप्त है।

अतएव पुनः अनुरोध है कि उक्त दोनों अभियंताओं के संविदा/अनुबंध को समाप्त करने हेतु की गई अग्रेतर कार्रवाई से विभागीय निगरानी प्रशाखा (प्रशाखा-24) को अवगत कराते हुए उसकी प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी को भी यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

(मनीष आनंद)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना/दिनांक -

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बिजीखोरवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - 5478

पटना/दिनांक- 21/09/2026

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय वेबसाईट एवं संबंधित पदाधिकारियों को ई-मेल पता पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

M. D. S. 18/09/26
अवर सचिव (प्रबंधन)।